



संख्या-57/2024/1/732528/2024/001-77-3002-003-6-2022

प्रेषक,

ओम प्रकाश यादव,  
संयुक्त सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,  
यूपीडा, पर्यटन भवन,  
गोमती नगर लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 03.09.2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु धनराशि के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के पत्रांक 542/यूपीडा/आगरा-लखनऊ/2024 दिनांक 13.06.2024 एवं पत्रांक 994/यूपीडा/आगरा-लखनऊ/2024 दिनांक 14.08.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु रु० 5000.00 लाख (रुपये पचास करोड मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण और शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

(धनराशि रु० लाख में)

| क्र०सं० | परियोजना का नाम                | स्वीकृत/मूल लागत | अब तक अवमुक्त धनराशि | वर्तमान में अवमुक्त धनराशि |
|---------|--------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|
| 1       | 2                              | 3                | 4                    | 5                          |
| 01      | आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना | 1493764.00       | 1282241.00           | 5000.00                    |

### नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि निर्माणकर्ताओं को उनकी तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
- (2) स्वीकृत की जा रही धनराशि परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य मर्दों पर और स्वीकृत लागत सीमा में ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(3) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र /कार्य का सम्परीक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज, कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ०प्र० प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाए।

(4) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं०- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(6) यदि आहरित धनराशि पर कोई ब्याज प्राप्त होता है तो उसे राजकोष में किया जायेगा।

(7) उक्त परियोजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(8) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए यूपीडा उत्तरदायी होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 50,00,00,000 ( रुपये पचास करोड़ मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 5054033370300 आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस-वे परियोजना का सुदृढीकरण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओम प्रकाश यादव),

संयुक्त सचिव

**संख्या एवं दिनांक तदैव।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1. निजी सचिव, मा० मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
2. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन ।
9. वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ ।
10. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
12. नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश यादव),  
संयुक्त सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।